न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 34 / 2014
जी.सी.एम.एस. नं0:– 2014 / 00145 तारीख रजू:–13.10.2014
पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. चन्द्रशेखर पुत्र माधोलाल धाकड़, निवासी चौथ का बरवाडा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामनिवास।
2. बाबू पुत्र रामनिवास।
3. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थी

उपस्थित::–

वकील प्रार्थी :–श्री अजय शेखर दवे एडवोकेट
वकील अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 :– श्री सुधीर कुमार जैन एडवोकेट
अप्रार्थी सं 3 :– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:– 29.10.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

❖ उभयपक्षकारान ग्राम चौथ का बरवाडा के एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, जिनके मध्य पैतृक खातेदारी भूमियों को विभाजन हो गया है तथा अब हर दो पक्ष अपने हिस्से की भूमि पर पृथक से काश्त करते हैं।

❖ ग्राम चौथ का बरवाड़ा मे स्थित खसरा नंबर 2799 प्रार्थी की आराजीयात है, जिसमें प्रार्थी का पश्चिमी दिशा का 1 / 3 हिस्सा है, जिसका मौके पर विभाजन हो रहा है। प्रार्थी के इस खेत में जाने का पूर्वजों से रास्ता रास्ता खसरा नंबर 2797 एवं 2796 के खेतों के बीच की मेड में होकर खसरा नंबर विपक्षीयान के खेत खसरा नंबर 2798 में आता है, जहां से खेत की मेर के सहारे पश्चिमी दिशा में स्थित मेर के सहारे से प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 2799 में आने जाने का रास्ता है।

❖ उभयपक्षों के बीच विभाजन ते पूर्व खेत ख0नं0 2799 में [illegible] यह रात्ता रहा है लेकिन विभाजन के पश्चात विपक्षीयान की नियत [illegible] से उसने बै0नं0 2797, 2796 के बाद अपने खेत ख0नं0 2798 की मेर [illegible] रास्ते को सुनियोजित तरीके से टाटी लगाकर [illegible] के लिए उसे टोका तो उसने कहा कि वह टाटी खोलकर आ जा सकता है टाटी उसने जानवरों से बचाव के लिए लगाना बताया। अपील तोची समझी योजना के तहत विपधीयान ने इस टाटी को ताला लगाकर बद करना शुरू कर दिया जितसे प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने का रास्ता अवरोध आ गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.07 14:23:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

❖ प्रार्थी ने इस बाधा को हटाने के लिए विपक्षीशान को कहा लेकिन उन्होने रास्ता देने ते साफ कर दिया। विपधीयान के इस रवैये से प्रार्थी के अपने खातेदारी के खेत में जाने का रास्ता बंद हो गया तथा इत रास्ते के अलावा अन्य कोई वेर्काल्पक रास्ता भी नहीं बचा। उक्त रास्ता विगत 50 साल से भी ज्यादा अवधि से प्रयोग मे आता रहा है। विपक्षीयान की हठधर्मिता से प्रार्थी का पुराना रास्ता अवरूद्ध करने से एक मात्र रास्ता बंद होने से खेत पर जाने आना ही बंद हो गया।

❖ विपक्षीयान को पडोसी वेतों व अन्य जाति बिरादरी के लोगो व रिश्तेदारो द्वारा समझाने का भी कोई असर नहीं हो रहा है और वह अपने रवैये पर कायम है। ऐसे में प्रार्थी बातेदारी खेत का रास्ता विपक्षीयान की हठधर्मिता ते रोका जा रहा है।

❖ अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौके की स्थित्ति की रिपोर्ट लेकर प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत खसरा नबर 2799 में जाने के पुराने रास्ते में लगे अवरोध हटवाये जांवे तथा मार्ग से निर्वाध आवागमन का रास्ता दिलवाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

❖ खसरा नंबर 2799 प्रार्थी की 1/2 खातेदारी भूमि की अवश्य है, परन्तु प्रार्थी खसरा नंबर 2797 व 2796 की मेड पर होकर 2798 में नहीं पहुंचता है, बल्कि उत्तर दिशा में खसरा नंबर 2813 व 2812 में रेलवे लाईन के सहारे होते हुए पहुंचता है तथा उसके पश्चात् खसरा नंबर 2799 में पहुंचता है। कभी भी खसरा नंबर 2798 की पश्चिमी भग में मेर के सहारे होकर रास्ते का उपयोग नहीं किया गया है। न ही वर्तमान मे कर रहा है।

❖ खसरा नंबर 2799 के लिये 2797 व 2796 में होकर तथा 2798 की मेड पर होकर रास्ता नही रहा है। इसलिये रास्ता बंद करने का प्रश्न ही नहीं है।

❖ खसरा नंबर 2796, 2797 व 2798 में होकर रास्ता प्रार्थी का नहीं रहा है, बल्कि वह उत्तर में रेलवे लाईन के सहारे होकर खसरा नंबर 2812 व 2813 में मेर पर होकर खसरा नंबर 2799 में आता जाता रहा है। अब अप्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने व खेत के बिगाडने के लिये यह झूठे तथ्य बनाकर प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है, जो खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.07 14:23:08 IST
Reason: SelfAttested

❖ प्रार्थी ने खसरा नंबर 2796 व 2797 की मेड पर हो[illegible] नंबर 2798 में पश्चिमी मेड़ के सहारे होकर खसरा [illegible] है, जो धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट [illegible] धारा 251 ए में नवीन रास्ता निकालने व रास्ता जो पहले से मौजूद हो उसको चौडा करने का है, वह भी इस परिरिस्थिति में जबकि अन्य कोई वैकल्पिक रा[illegible] नहीं हो, इसलिये Pleadig of the Application से प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है व इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

4. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/1253 दिनांक 10.06.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

❖ प्रार्थीगण औमप्रकाश पुत्र प्रहलाद हि. 1/2 चन्द्रशेखर पुत्र माचोलाल हि.1/2 जाति धाकड़ निवासी चौथ का बरवाडा के ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार मण्डल चौथ का बरवाडा वी में खसरा नम्बर 2799 रकबा 2.94 है० खातेदारी भूमि है जिस पर पहुंच का कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

❖ उक्त खसरा नम्बर पर पहुंच के लिए खसरा नम्बर 2826, 2797, 2796, 2797/5114. 2798, 2823, 2815 में से होकर खसरा नम्बर 2797 पर पहुंचा जा सकता है जो निकटतम दूरी का रास्ता है।

❖ उक्त खसरा नम्बर पर पहुंच के लिए खसरा नम्बर 2826 में से 7 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा, 2797 में से 148 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा, खसरा नम्बर 2796 में से 156 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा, खसरा नम्बर 2797/5114 में से 110 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा, खसरा नम्बर 2798 में से 196 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा, खसरा नम्बर 2823 में से 48 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा एवं खसरा नम्बर 2815 में से 40 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा अर्थात कुल 1410 वर्गमीटर भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित होगा।

❖ रास्ते में दी जाने वाली भूमि 1410 वर्गमीटर जिसकी डीएलसीदर के अनुसार राशि 133950/–रू0 का दुगुना 267900/– रू० अप्रार्थीगण को दिया जाकर रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवामें सादर प्रेषित है।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने No Instructions करते हुए बहस करने से मना किया। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। मैंने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।
6. प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी खसरा नंबर 2799 रकबा 2.94 है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा तक पहुंचने हेतु खसरा नंबर 2798 से रास्ता चाहा है। साथ ही प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, चौथ का बरवाडा द्वारा बताये गये लघुत्तम दूरी के रास्ते से प्रभावित खसरा नंबर 2826, 2797, 2796, 2797/5114. 2798, 2823, 2815 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रभावित काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी भूमि से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.07 14:23:08 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा